

(2) Where a veterinary inspector is of the opinion that any animal in an animal market is unfit, he may treat it, or cause it to be treated, and take, or cause to be taken, any other steps that he considers necessary to protect it from unnecessary pain or suffering, and he may for any such purpose require the Animal Market Committee to detain the animal in a pen for as long as he considers necessary for the purpose of further treatment or otherwise protecting it from unnecessary pain or suffering.

(3) Where an animal is being detained under this rule, no person shall move it from its place of detention except with the approval of a veterinary inspector and in accordance with any conditions subject to which the approval is given.

(4) The Animal Market Committee shall—

- (i) render such assistance to a veterinary inspector as he may require for the purpose of facilitating the exercise of his powers under these rules;
- (ii) give to a veterinary inspector such information as it possesses as to the ownership of any animal in respect of which any such power is exercised.

(5) Expenses incurred by a veterinary inspector in treating, or causing to be treated, an unfit animal in exercise of the powers conferred on him by these rules shall be borne by the owner of the animal.

26. Marking of animals.— The veterinary inspector may mark, or cause to be marked, any animal including by ear tags but hot branding, cold branding and other injurious marking shall be prohibited.

27. Ramps.—Where, at any time after the coming into force of these rules, any premises are constructed for use as an animal market, it shall be the duty of the Animal Market Committee for that market to ensure that facilities are provided in the market for the purpose of loading and unloading cattle, sheep, goats, horses, ponies, donkeys, mules, camels and pigs into and out of vehicles and that those facilities consist of fixed ramps or other facilities which are of a height and design suitable and as specified for that purpose; and it shall be the duty of the Animal Market Committee to ensure that any fixed ramp or other facilities which are so provided are fitted with side railings (or some other means of protection) designed and constructed so as to prevent such animals from falling off them.

[F. No. 1/1/2016-AWD]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 495(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2016 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) “पशु कल्याण संगठन” से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संगठन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाए गए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की

स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी है ;

(ग) "मवेशी" से कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सांड, गाय, भैंस, बछवा, कलोर और ब्याना आते हैं और जिसके अंतर्गत ऊटिनी भी है ;

(घ) "पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(ङ.) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "यान" से सड़क पर उपयोग के लिए संनिर्मित या अनुकूलित कोई यान (जिसके अंतर्गत किसी भी भांति का कोई ट्रेलर या किसी यान से विलग्न बाड़ी भी है) अभिप्रेत है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं ।

3. मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशुओं की अभिरक्षा – जब किसी पशु का अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अभिग्रहण किया जाता है, तो-

(क) पशु को अभिगृहीत करने वाला प्राधिकारी, ऐसे पशु के स्वास्थ्य निरीक्षण, पहचान और चिह्नांकन को उस क्षेत्र के सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल में तैनात अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करेगा और चिह्नांकन कर्ण टैग द्वारा या चिप द्वारा या कम कष्टप्रद किसी विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकेगा किन्तु तप्त छाप, शीत छाप या किसी अन्य हानिकारक छाप द्वारा चिह्नांकन प्रतिषिद्ध होगा ;

(ख) मजिस्ट्रेट मुकदमों के लंबित रहने के दौरान पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला में रखने का निदेश दे सकेगा ।

4. मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशु की देखरेख और रखने की लागत- (1) राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस मास के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ऐसे पशु की, जो राज्य में सामान्यतः अभिगृहीत किए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रतिदिन परिवहन, भरणपोषण और उपचार की लागत विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों को, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत पशुओं के परिवहन, भरणपोषण, उपचार के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों के रूप में उपयोग करेगा ।

(3) उस दशा में जब विचाराधीन पशु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दर सूची पर नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट पशुओं के परिवहन, उपचार और भरणपोषण की लागत, अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नियत करेगा ।

5. बंधपत्र का निष्पादन- (1) मजिस्ट्रेट, पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, या गोशाला को अभिरक्षा सौंपते समय वह रकम अवधारित करेगा जो अधिकारिता वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पशु के परिवहन, भरणपोषण और उपचार के लिए उपगत या उपगत की जाने के लिए प्रत्याशित समस्त युक्तियुक्त लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और अभियुक्त तथा स्वामी को अवधारित मूल्य का बंधपत्र प्रतिभुओं सहित तीन दिन के भीतर निष्पादित करने का निदेश देगा और यदि अभियुक्त तथा स्वामी बंधपत्र निष्पादित नहीं करते हैं तो पशु, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, गोशाला को समपहृत हो जाएगा ।

(2) पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पाक्षिक आधार पर बंधपत्र से पशु की अभिरक्षा प्राप्त करने की तारीख से उसके अंतिम व्ययन की तारीख तक पशु की देखरेख में उपगत वास्तविक युक्तियुक्त लागत का आहरण कर सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट, अभियुक्त और स्वामी से प्रारंभिक बंधपत्र की रकम का अस्सी प्रतिशत पशु की देखरेख की लागत में खर्च हो जाने पर प्रतिभुओं सहित अतिरिक्त बंधपत्र निष्पादित करने की मांग करेगा ।

(4) जहां अपराध में कोई यान अंतर्वर्तित है वहां मजिस्ट्रेट यान को प्रतिभुओं के रूप में रखने का निदेश देगा ।

(5) पशु को परिवहन से संबंधित अपराध की दशा में यान का स्वामी, परेषक, परेषिती, परिवाहक, अभिकर्ता और सभी अन्य सम्मिलित पक्षकार संयुक्ततः और पृथकतः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(6) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व किसी निगमित निकाय के पास है, वहां निगमित निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष या उच्चतम रैंक का कर्मचारी, निगमित निकाय और अभियुक्त संयुक्ततः और पृथकतः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(7) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व सरकार के पास है वहां विभागाध्यक्ष और अभियुक्त संयुक्ततः और पृथकतः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे।

(8) यदि स्वामी और अभियुक्त के पास बंधपत्र देने के साधन नहीं हैं तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने और उसे भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने का निदेश देगा।

6. परित्यक्त पशु- (1) उस दशा में जहां अन्वेषक अधिकारी यह रिपोर्ट फाइल करता है कि प्रथम दृष्टया अधिनियम के अधीन अपराध पाया गया है किंतु वह अभियुक्त या पशु के स्वामी का अवधारण करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने का निदेश देगा और यह समझा जाएगा कि स्वामी ने पशु के स्वामित्व का त्याग कर दिया है।

(2) स्वामित्व का त्याग अज्ञात अपराधी या स्वामी के विरुद्ध किन्हीं दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा।

7. स्वैच्छिक त्याग- इस नियम की किसी बात का अर्थ ऐसे स्वामी द्वारा, जो अभियुक्त है, किसी पशु को बंधपत्र के निष्पादन के बदले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए पशु कल्याण संगठन या गोशाला को स्वैच्छिक और स्थायी त्याग करने से रोकना नहीं होगा किंतु स्वैच्छिक और स्थायी त्याग, अभियुक्त या स्वामी के विरुद्ध किन्हीं दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा।

8. मुकदमें के निपटारे पर पशु की प्रास्थिति- (1) यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है तो मजिस्ट्रेट उसे पशुओं के स्वामित्व से वंचित कर देगा और अभिगृहीत पशु को पहले से ही अभिरक्षा रखने वाले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को उचित दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन के लिए समपहृत कर देगा।

(2) यदि अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाया जाता है तो अभिगृहीत पशु अभियुक्त या स्वामी को लौटा दिया जाएगा तथा निष्पादित किसी बंधपत्र की रकम का अप्रयुक्त भाग उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा, जिसने बंधपत्र निष्पादित किया था।

9. दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन की प्रक्रिया- (1) मुकदमे के दौरान या मुकदमें के पश्चात् पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उसकी अभिरक्षा में के पशु को सहज मृत्यु दे सकेगा।

(2) जहां पशु को, यथास्थिति, दोषसिद्धि, परित्याग या स्वैच्छिक त्याग के पश्चात् रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को समपहृत कर दिया गया है वहां पशु को दत्तक ग्रहण के लिए रख दिया जाएगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी मवेशी परिरक्षण विधि के अधीन आरोपित है, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला से पशु को दत्तक ग्रहण में लेने से प्रतिषिद्ध होगा।

(4) रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु को दत्तक ग्रहण में देने से पहले,-

(क) मवेशी की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशु को दत्तक ग्रहण में कृषि प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है और सुसंगत राजस्व दस्तावेज देखकर यह सत्यापित करेगा कि पशु का दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति एक कृषक है।

(ख) भार ढोने वाले और लद्दू पशुओं की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशुओं को दत्तक ग्रहण में भार ढोने और लादने के प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है।

(ग) कुत्तों और बिल्लियों की दशा में यह सुनिश्चित करेगा कि दत्तक ग्रहण में देने से पहले पशु को अंडाशय उच्छेदित और नपुंसक कर दिया गया है।

(घ) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का नाम और पते का अभिलेख रखेगा और पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का पहचान का सबूत और पते का सबूत उपाप्त करेगा।

(ङ.) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र के रूप में यह घोषणा अभिप्राप्त करेगा कि वह पशु का दत्तक ग्रहण की तारीख से छह मास तक अन्य संक्रामण नहीं करेगा और उसके परिवहन के लिए अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विरचित नियमों का पालन करेगा और पशु की नियमित पशु चिकित्सा जांच करवाएगा।

(5) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति-

(क) पशु को नहीं बेचेगा;

(ख) पशु का परित्याग नहीं करेगा;

(ग) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि का अनुसरण करेगा;

(घ) किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की बलि नहीं देगा;

(ङ.) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि के अनुसार अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को मवेशी को नहीं बेचेगा।

(6) जहाँ किसी मवेशी या किसी भार ढोने वाले और लद्दू पशु को दत्तक ग्रहण में लिया गया है वहाँ रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला के परिसरों से उसको ले जाए जाने से पहले पांच प्रतियों में दत्तक ग्रहण का सबूत जारी करेगा जिसमें से पहली प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को, दूसरी प्रति, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को, तीसरी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के निवास के तहसील कार्यालय को, चौथी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के जिला कार्यालय को दी जाएगी तथा अंतिम प्रति केस फाइल में फाइल किए जाने के लिए न्यायालय को भेज दी जाएगी।

(7) पशु का दत्तक ग्रहण, पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को अप्रतिसंहरणीय अधिकार नहीं देगा और, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला समय समय पर पशु का निरीक्षण कर सकेगा तथा यह पाए जाने की दशा में कि वह व्यक्ति जिसने पशु को दत्तक ग्रहण में लिया था, पर्याप्त देखरेख नहीं कर रहा है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या किसी पशु परिरक्षण विधि के अधीन अपराध किया जाना प्रत्याशित है तो, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु का कब्जे में ले लेंगे।

(8) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति पशु का केवल विधिपूर्ण संरक्षक होगा और उसे ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो पशु के स्वामी को साधारणतया प्रदान किए जाते हैं किंतु उसका ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिए जाने के निवारण के लिए सभी उत्तरदायी उपाय करने का कर्तव्य होगा।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

G.S.R.495(E).—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 35(E), dated the 16th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), the 16th January, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th January, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) "Animal Welfare Organisation" means an organisation recognised by the Animal Welfare Board of India and includes a Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(c) "cattle" means a bovine animal including bulls, cows, buffalos, steers, heifers and calves and includes camels;

(d) "Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(e) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government;

(f) "vehicle" means any vehicle (including a trailer of any description and the detachable body of a vehicle) constructed or adapted for use on a road;

- (g) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Custody of animals pending litigation.**— When an animal has been seized under the provision of the Act or the rules made thereunder—

(a) the authority seizing the animal shall ensure health inspection, identification and marking such animal, through the jurisdictional veterinary officer deployed at Government Veterinary Hospital of the area and marking may be done by ear tagging or by chipping or by any less irksome advance technology but marking by hot branding, cold branding and other injurious marking shall be prohibited;

(b) the magistrate may direct the animal to be housed at an infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala during the pendency of the litigation.

4. **Cost of care and keeping of animal pending litigation.**— (1) The State Board shall within three months from the date of commencement of these rules and thereafter on the 1st day of April every year, specify the cost of transport, maintenance and treatment per day for every species of animal that is commonly seized in the State.

(2) The magistrate shall use the rates specified by the State Board as the minimum specified rates for transport, maintenance and treatment of the seized animals under sub-section (4) of section 35 of the Act.

(3) In case the animal under consideration is not on the rate sheet specified by the State Board, the magistrate shall fix the cost of transport, treatment and maintenance of the animal based on the input provided by the jurisdictional veterinary officer.

5. **Execution of bond.**— (1) The magistrate when handing over the custody of animal to an infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala shall determine an amount which is sufficient to cover all reasonable cost incurred and anticipated to be incurred for transport, maintenance and treatment of the animal based on the input provided by the jurisdictional veterinary officer and shall direct the accused and the owner to execute a bond of the determined value with sureties within three days and if the accused and owner do not execute the bond, the animal shall be forfeited to infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala.

(2) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala having the custody of the animal may draw on from the bond on a fortnightly basis the actual reasonable cost incurred in caring for the animal from the date it received custody till the date of final disposal of the animal.

(3) The magistrate shall call for the accused and the owner to execute additional bond with sureties once eighty per cent. of the initial bond amount has been exhausted as cost for caring for the animal.

(4) Where a vehicle has been involved in an offence, the magistrate shall direct that the vehicle be held as a security.

(5) In case of offence relating to transport of animals, the vehicle owner, consignor, consignee, transporter, agents and any other parties involved shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of animals.

(6) In cases where a body corporate owns the animal, the Chief Executive Officer, President or highest-ranking employee of the body corporate, the body corporate and the accused shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of the animal.

(7) In cases where the Government owns the animal, the Head of the Department and the accused shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of the animal.

(8) If the owner and the accused do not have the means to furnish the bond, the magistrate shall direct the local authority to undertake the costs involved and recover the same as arrears of land revenue.

6. **Abandoned animal.**— (1) In case where the investigating officer files a report that prima facie offence under the Act has been made out but he is unable to determine the accused or the owner of the animal, then the magistrate shall direct the local authority to undertake the costs involved and it shall be deemed that the owner has relinquished the ownership of the animal.

(2) The relinquishment of ownership shall have no effect on any criminal charges against the unknown offender or the owner.

7. **Voluntary relinquishment.**— Nothing in these rules shall be construed to prevent the voluntary and permanent relinquishment of any animal by the owner who is the accused, to infirmary, pinjarapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala in lieu of executing a bond but the voluntary and permanent relinquishment shall have no effect on any criminal charges against the accused or owner.

8. **Status of animal upon disposal of litigation.**— (1) If the accused is convicted, or pleads guilty, the magistrate shall deprive him of the ownership of animal and forfeit the seized animal to the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala already having custody for proper adoption or other disposition.

(2) If the accused is found not guilty of all charges, the seized animal shall be returned to the accused or owner of the animal and the unused portion of any bond amount executed shall be returned to the person who executed the bond.

(9) **Process of adoption or other disposition.**— (1) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala having custody of the animal during the litigation or post litigation may euthanize the animal in its custody as per section 13 of the Act.

(2) Where the animal has been forfeited to the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala after conviction, abandonment or voluntary relinquishment, as the case may be, the animal shall be put up for adoption.

(3) A person who has been charged under the Act or any cattle preservation law made by the State Government shall be prohibited from adopting animals from the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala.

(4) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala prior to giving the animal for adoption shall,—

- (a) in case of cattle, take an undertaking in form of an affidavit that the animals are adopted for agriculture purposes and not for slaughter, and verify that the person adopting the animal is an agriculturist by seeing the relevant revenue document;
- (b) in case of draught and pack animals, take an undertaking in the form of an affidavit that the animals are adopted for draught and pack purposes and not for slaughter;
- (c) in case of dogs and cats, ensure that the animal is spayed or neutered before adoption;
- (d) keep a record of name and address of the person adopting the animal and procure an identity proof and address proof of the person adopting the animal;
- (e) obtain from the person adopting the animal a declaration in the form of an affidavit that he shall not alienate the animal up to six months from the date of adoption and shall abide by the rules for transport framed under the Act or any other law for the time being in force and shall get regular veterinary checkup done for the animal.

(5) The person adopting the animal shall—

- (a) not sell the animal;
- (b) not abandon the animal;
- (c) follow the State cattle protection and preservation law;
- (d) not sacrifice the animal for any religious purpose;
- (e) not sell the cattle to a person outside the State without permission as per the State cattle protection and preservation law.

(6) Where a cattle or a draught and pack animal has been adopted, before its removal from the premises of the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, the proof of adoption shall be issued in five copies, out of which first copy shall be handed over to person adopting the animal, second copy to infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, third copy to tehsil office of the residence of person adopting the animal, fourth copy to the Chief Veterinary Officer, Office of District of person adopting the animal and last copy shall be sent to the court to be filed in the case file.

(7) The adoption of animal shall not create an irrevocable right to the person adopting the animal, and the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, may from time to time inspect the animal and in case it finds that the person who has adopted the animal is not providing sufficient care or it has reasons to believe that an offence under the Act or any cattle preservation law is anticipated, then the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, shall take possession of the animal.

(8) The person adopting the animal shall only be the lawful guardian of the animal and shall not have any rights bestowed generally to an owner of the animal, but shall have the duty to take all responsible measures to ensure the well being of such animal and to prevent infliction upon such animal of unnecessary pain or suffering.

[F. No. 1/1/2016-AWD]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.